कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल--462004

//संशोधित आदेश//

भोपाल, दिनांक 31 /01/2019

क्रमांक 339/1121/आउशि/सम्बद्धता/18 ::द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3475/1121/आउशि/सम्बद्धता/18, दिनांक 31/12/2018 में संशोधन करते हुये, महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2019-20 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2019-20 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा प्रस्तावित/संचालित नवीन/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु एम0पी0 ऑनलाईन के पोर्टल पर "आन-लाईन" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम दिनांक 31/10/2018 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 06/11/2018 निर्धारित की गई थी, उक्त तिथियों के अन्तर्गत प्रस्तुत "ऑनलाईन" आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ प्राप्त किये गये।

4. विधि पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है, तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व बार कौंसिल ऑफ इंडिया का ही होगा। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

5. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

6. संस्था द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

7. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में सत्र 2019-20 के लिये निम्नानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

क्रमांक	बिन्दु क्रमांक	विवरण	टीप
1	विश्वविद्यालय का नाम	ए.पी.एस. विश्वविद्यालय रीवा	
2	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	गणेश शिक्षा समिति अहमा जिला सीधी	

निरंतर -2

3	प्रस्तावित / संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	कमला स्मृति महाविद्यालय सीधी	
4	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम / कक्षा / विषय	बी.ए. द्वितीय वर्ष अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल एम.एस.सी. (एम.एस.सी. उत्तरार्द्ध) (गणित, बॉयोटेक्नोलॉजी) बी.कॉम ऑनर्स द्वितीर्य वर्ष– कम्प्यूटर मैनेजमेंट अकाउन्टस बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष– (बी.टी.)	
5	मान्य : नवीन पाठ्यक्रम / कक्षा / विषय	निरंक	
6	सशर्त मान्य : नवीन पाठ्यक्रम / कक्षा / विषय	बी.ए. द्वितीय वर्ष अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल एम.एस.सी. (एम.एस.सी. उत्तरार्द्ध) (गणित, बॉयोटेक्नोलॉजी) बी.कॉम ऑनर्स द्वितीर्य वर्ष– कम्प्यूटर मैनेजमेंट अकाउन्टस बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष– (बी.टी.)	तीन माह में पंजीकृत समिति अद्यतन करवाकर प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर
7	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम / कक्षा / विषय	निरंक	निरंक

8. शासन द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/01/2019 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 15/02/2019 निर्धारित की गई है, अतः सम्बद्धता हेतु समयसीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाये।

9. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाये।

10. उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।

11. अमान्य किये गये नवीन महाविद्यालय / पाठ्यकम / कक्षा / विषय हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के समक्ष ऑनलाईन रिव्यु प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 01/01/2019 से 15/01/2019 निर्धारित है, इस अवधि में एम. पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर रिव्यु राशि 35,000/– (रूपये पैंतीस हजार) केवल (वापसी योग्य नहीं) सहित ऑनलाईन रिव्यु दर्ज किया जा सकता है।

12. अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्ते एवं नियम यथावत् रहेंगे।

<u>"आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"</u>

31/1/19

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ला)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 340/1121/आउशि/सम्बद्धता/18. भोपाल, दिनांक 31/1./2019

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1– विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2– निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल (म0प्र0)।
3– निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
4– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल।
5– अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय रीवा, (म0प्र0)।
6– कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)।
7– प्राचार्य, शासकीय (अग्रणी) महाविद्यालय, सीधी, (म0प्र0)।
8– अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य,–संबंधित संस्था, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, मध्यप्रदेश।
9– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा (आई.टी. सेल), भोपाल की और विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।

——की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.